बिहार —23

तथापि दिल्ली में पटाखों की 12 दुकानों में, हिमाचल प्रदेश में 6 स्थानों पर, तमिलनाडु में पटाखों की 43 दुकानों पर, हरियाणा में 30 अस्थायी शामियानों/स्टालों पर और महाराष्ट्र में 28 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। केरल में आग लगने की 2 घटनाएं और बिहार में पटाखों के कारण 6 घटनाएं भी हुईं।

(ग) और (घ) चूंकि "अग्नि" राज्य का विषय है, अतः इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक उपाय किए जाने होते हैं।

Setting migrants from Kashmir and Punjab

3068. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI MURLIDHAR CHANDRA-KANT BHANDARE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of migrants from Kashmir and Punjab in Delhi; and

(b) whether any steps have been taken by Government to settle them properly in the proposed towns comprising the national capital region, if so, the details of the scheme and the progress made in implementation thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) 75,030 migrants from Jammu and Kashmir are reported to be staying in Delhi. In the case of Punjab the number of migrants staying in the camps in Delhi is reported to be 13,307.

(b) No, Sir. There is no proposal to settle them permanently in National Capital Region.

कश्मीर में सोना बरामद किया जाना

3069. श्री राम नरेश यादव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवम्बर, 1992 के दैनिक "जनसत्ता" में "कश्मीर में एक करोड़ का सोना पकड़वाने वाले फौजी को ईमानदारी का ईनाम कोर्ट मार्शल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने बरामद किए गए एक करोड़ रुपये मूल्य के सोने को सरकारी खजाने में जमा नहीं किया है; और

(ग) सरकार उन सैनिकों को किस तरह से न्याय दिलाने का विचार रखती है जिन्होंने छापों और माल बरामद करने में मदद की और जिन्हें अनुचित तरीके के कष्ट दिए गए?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) सरकार ने उक्त समाचार-पत्र में यह खबर देखी है। समरी जनरल कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों के आधार पर उक्त समाचार-पत्र में छपी खबर का संबंध एक ऐसे सैन्य अफसर से है जिसे श्रीनगर में घेराबंदी और तलाशी कार्रवाई के दौरान अनुचित ढंग से और बिना प्राधिकार के सिविलियनों से धन ऐंठने के आरोप में 7 साल के कठोर कारावास की सजा दिए जाने के साथ-साथ पदच्युत कर दिया गया था। कोर्ट मार्शल कार्यवाहियों के दौरान सोने के बिस्कुट पकड़े जाने के बारे में भी जांच की गई थी परन्तु कोई सबूत नहीं मिले।

(ग) असन्तुष्ट सैन्य कार्मिकों की अपनी शिकायतें दूर करने और न्याय दिलाने के लिए सेना अधिनियम, नियमों और विनियमों में पर्याप्त व्यवस्था है। इसके लिए वे सांविधिक और असांविधिक किस्म की अपनी शिकायतें सजा की पुष्टि होने से पहले तथा बाद में भी सैन्य प्राधिकारियों और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर सकते हैं।